न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1६४ निगरानी

RN/10-1/R/17/94

श्री ... द्वारा ... 3.1.94
को प्रस्तुत.

3.1.94
... रीडर
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

१। हीरासिंह पुत्र जनार्दन सिंह
२। सत्यनारायण पुत्र गंगासिंह
३। कमलाप्रसाद सिंह पुत्र सूर्यपाल सिंह
निवासीगण ग्राम बैकुण्ठपुर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

--- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१। मध्य प्रदेश शासन

Exp. २। श्रीमती कैमलीदेवी विधवा पत्नी हंसध्वज, निवासिन बैकुण्ठपुर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा मध्य प्रदेश

Exp. ३। श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी अजय प्रकाश सिंह चौहान पुत्री हंसध्वज सिंह, निवासिन ग्राम चंदेह, तहसील मऊगंज, जिला रीवा

Exp. ४। श्रीमती निर्मला देवी पत्नी रामसिंह पुत्री हंसध्वज सिंह, निवासिन ग्राम बैकुण्ठपुर, तह० सिरमौर, जिला रीवा, म०प्र०

P.T.O. ---

Exp.५। रामेश्वर सिंह मृत वारिस
अवधबिहारी सिंह, भ्राता स्वयं
निवासी बैकुण्ठपुर, तहसील सिरमौर
जिला रीवा, म०प्र०

६। वीरभान सिंह पुत्र सूर्यपाल सिंह,
निवासी ग्राम पाडुर, तहसील मऊगंज
जिला रीवा, मध्य प्रदेश

७। सुरेशप्रताप सिंह मृत वारिसान
(अ) रमेश प्रताप सिंह पुत्र सुरेशप्रतापसिंह
(ब) उदयप्रतापसिंह पुत्र सुरेशप्रतापसिंह
(स) शोभासिंह पुत्री सुरेशप्रतापसिंह
सभी निवासीगण ग्राम
बैकुण्ठपुर, तहसील सिरमौर
जिला रीवा, म०प्र०

८। दर्शनसिंह पुत्र रणबहादुर सिंह,
निवासी बैकुण्ठपुर, तहसील सिरमौर
जिला रीवा, म०प्र० -- प्रतिप्रार्थीगण

हत
8-9-2001

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग, दिनांक २५-११-९३ । प्र०क्र० १३।८४-८५ निग० धारा ५० लेन्ड रैवेन्यू कोड, मध्यप्रदेश ।

श्रीमान,

निगरानी नीचे लिखे आधारों पर प्रस्तुत है :

(१) यहकि इसप्रकरण के पूर्व सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रकरण गणेश प्रताप सिंह, वं

--- ३

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 17/94 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–12–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक क्र0 2 से 5 पूर्व से ही एकपक्षीय है। प्रकरण ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया । 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0 क्र0 13/84–85/निग0 में पारित आदेश दिनांक 25.11.93 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में आवेदक ने सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 24.08.84 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की है। 4/ आवेदक का तर्क है कि कलेक्टर ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनः प्रकरण चालू करने की रिव्यु न मानते हुये धारा 15 में माना है, जो गलत है। वस्तुतः मूल पक्षकार का प्रकरण दिनांक 15.11.75	

को खारिज हो गया था। फिर यह पाया जाने पर कि उसके मृतक पिता की भूमि भी उसके नाम आई है, प्रकरण पुनः प्रारंभ हुआ। स्पष्ट है कि मूल पक्षकार ने अपनी भूमि का सही विवरण नहीं दिया था । अपर आयुक्त रीवा ने भी इस तर्क को मान्य नहीं किया है। जब पता चला की उक्त वादग्रस्त भूमि के अलावा और भी भूमि है तो प्रकरण चालू करने की कार्यवाही गलत नहीं कही जा सकती । द्वितीयतः आवेदक दिनांक 28.02.1970 की पार्टीशन डीड की बात करता है जिससे Valid Transfer हो गये थे। सर्वप्रथम तो धारा 4 में यह बात राजस्व बोर्ड में उठाई जा सकती थी। अब इस बात को उठाने का वक्त जा चुका है, फिर यह स्पष्ट है कि सक्षम न्यायालय में कोई विवरणी पेश नहीं की गई है। ड्राफ्ट स्टेटमेन्ट जारी होने पर आपत्ति मान्य की गई है। उक्त आपत्तियां बटवारे के पूर्व प्रकरण में सही विवरणी तथा प्रमाण प्रस्तुत न करने से अमान्य हुई है। प्रपत्र 5 में भी उक्त भूमियां आवेदक के ही हिस्से में थी। विवरणी के अभाव में ही आवेदक को नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं था, न ही आवश्यक थी। ड्राफ्ट स्टेटमेन्ट के पश्चात् भी समयसीमा में आपत्ति नहीं की गई। अतः सुनवाई का प्रश्न ही नहीं उठता । जो बटवारा पत्र में है वह बटवारा की भाषा में नहीं है। बटवारा पत्र यह कहता है कि समस्त पक्षकारों की शामलती सम्पत्ति है तथा हब बराबर है। किसकी कितनी है तथा कौन सी है हय विवरण ही नहीं है । ऐसे में

बटवारा भी मान्य नहीं किया जा सकता है। अपर कलेक्टर ने भी पूर्ण विवेचना कर दिनांक 24.08.84 को जो आदेश पारित किया है वह उचित है। इसकी पुष्टि अपर आयुक्त रीवा ने अपने विस्तृत आदेश में की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के द्वारा पारित आदेश 25.11.93 यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य